क्रम-संख्या–88

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 3 जून, 2025

ज्येष्ठ 13, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 72 / 79-वि-1–2025-2-क-5-2025

लखनऊ, 3 जून, 2025

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2025) जिससे कार्मिक अनुभाग–4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2025

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2025)

[भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1985 का संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1985 की धारा 10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1985 की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"10–(1) प्रत्येक प्रश्नपत्र चार भिन्न–भिन्न प्राश्निकों, जो एक ही स्थान के न हों, द्वारा बनाया जायेगा।

(2) प्राश्निकों से प्राप्त मुहरबंद प्रश्न–पत्र परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(3) चारों प्राश्निकों से प्राप्त प्रश्न पत्रों के मुहरबन्द लिफाफे सम्बद्ध अनुसीमकों को उनसे रसीद लेकर दिये जायेंगे।

(4) अनुसीमक चारों प्रश्नपत्रों का अनुसीमन करेगा, उन्हें पृथक–पृथक आवरणों में रखेगा जिन पर अपनी मुहर लगायेगा और आवरणों पर पहचान का कोई चिन्ह नहीं लगायेगा और उन्हें परीक्षा नियंत्रक या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को रसीद लेकर सौंप देगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक किसी विषय के किन्हीं दो अनुसीमित प्रश्न–पत्रों को मुहरबन्द आवरण खोले बिना चुनेगा और उसे उसी रूप में दो भिन्न–भिन्न मुद्रणालयों को भेज देगा, जो प्रश्नपत्रों का मुद्रण करने, जिसके अन्तर्गत प्रूफ पढ़ना भी सम्मिलित है, और परीक्षा नियंत्रक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार समस्त परीक्षा केन्द्रों के लिये भिन्न–भिन्न रंग/गोपनीय कोड में प्रश्न–पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) मुद्रणालय प्रश्न–पत्रों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा और परीक्षा नियंत्रक ऐसी गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा और आवश्यक सावधानी बरतेगा।"

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 72 (2)/LXXIX-V-1–2025-2-ka-5-2025
Dated Lucknow, June 3, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Lok Seva Aayog (Prakriya Ka Viniyaman) Adhyadesh, 2025 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 5 of 2025) promulgated by the Governor. Karmik Anubhag-4 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE PUBLIC SERVICE COMMISSION (REGULATION OF PROCEDURE) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

(U.P. ORDINANCE NO. 5 OF 2025)

[*Promulgated by the Governor in Seventy-sixth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

to amend the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) Act, 1985.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) (Amendment) Ordinance, 2025.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Official Gazette.*

Amendment of section 10 of U.P. Act no. 23 of 1985

2. *For* section 10 of the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) Act, 1985, the following section shall be *substituted,* namely :–

"10. (1) Every question paper shall be set by four different paper setters, who shall not belong to the same place.

(2) Sealed question papers received from paper setters shall be kept in the custody of the Controller of Examinations.

(3) The sealed envelopes, containing question papers received from the four paper setters, shall be handed over to the concerned Moderators against a receipt.

(4) The Moderators shall moderate all the four question papers, place them in separate covers under their seal, without making any mark of identification on the cover and hand them over to the Controller of Examinations or his nominee against a receipt.

(5) The Controller of Examinations shall choose any two of the moderated question papers of a subject without opening the sealed covers and send it as such to two different press, which shall be responsible for printing the question papers including the proof-reading, and for preparing packets of question papers in different Colours/Confidential Code for all examination centers under its seal, in accordance with information furnished by the Controller of Examinations.

(6) The press shall be responsible for maintaining the secrecy of the question papers, and the Controller of Examinations shall issue necessary directions and take necessary precautions to ensure such secrecy."

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 51 राजपत्र–2025–(154)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 विधायी–2025–(155)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
51 RPH (lok seva ayog) 2025 data 8e